

हिमाचल भवन, सदन, बड़े दिल्ली, हिमाचल भवन चण्डीगढ़, पीटरहाफ, शिमला व हि० ४० लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, छोटा शिमला में कमरों के आरक्षण हेतु पपत्र ।

1.	नाम	
2.	व्या सरकारी अधिकारी / कर्मचारी है ।	
3.	पदनाम	
4.	यदि सरकारी कर्मचारी नहीं तो, नाम व पता	
5.	विभाग	
6.	काम का कारण	सरकारी / गैर सरकारी / निजी
7.	ठहरने का स्थान	1—हिमाचल भवन, बड़े दिल्ली 2—हिमाचल सदन, बड़े दिल्ली 3—हिमाचल भवन, चण्डीगढ़ 4—पीटरहाफ, शिमला—४ 5—लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह हि० ४० शिमला-२
8.	ठहरने की अवधि	क्ष से क्ष तक दिनों की संख्या :

तिथि

हस्ताक्षर
बाम व पता :
सम्पर्क बम्बर :

मुझे निम्न शर्तें मंजुर हैं:-

- आरक्षण कमरों की उपलब्धता पर निर्भर है ।
- आरक्षणदाता द्वारा जारी आरक्षण बिना कारण बताये जबहित में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है ।
- आरक्षण का प्रतिवेदन मांगे गए आरक्षण से एक दिन पहले तथा किसी भी स्थिति में उस दिन 12 बजे मध्याह्न के बाद नहीं, मान्य होने । वृत्पश्चात कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा ।
- आरक्षण एक समय में दो दिन से अधिक न हो । यदि आरक्षण एक दिन से अधिक हो उसे पृथम दिन किसी भी स्थिति में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरक्षण गृहण करना होगा अन्यथा दूसरे दिनों के लिए स्वीकृत आरक्षण स्वतः की समाप्त हो जाएगा ।
- केवल वही व्यक्ति, जिसके नाम परमिट जारी किया गया है या आरक्षण किया गया हो वही व्यक्ति आरक्षण पर ठहरने का पात्र है तथा आरक्षण अबन्तरणीय है ।
- सामान्यतः किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को केवल एक ही कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा तथा वह भी कमरों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

संस्कृतिअधिकारी / प्राधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित